

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 67/2020

शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फाईनेन्स कम्पनी लि०  
शाखा कार्यालय-- 711/4, प्रथम तल वंगरीठ कॉम्प्लेक्स सोलत बाग के सामने,  
अजमेर (राज०) जारिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह  
(अ) ग्राम - बबायचा, अजमेर जिला अजमेर (राज०) 305811  
(ब) पट्टा न० 44, ग्राम पंचायत- बबायचा, पंचायत समिति-श्रीनगर,  
तहसील व जिला अजमेर (राज०) 305811
- (2) श्री अजीत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,  
(अ)ग्राम- बबायचा, अजमेर जिला अजमेर (राज०) 305811  
(ब) पट्टा न० 44, ग्राम पंचायत- बबायचा, पंचायत समिति-श्रीनगर,  
तहसील व जिला अजमेर (राज०) 305811

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्वरान  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेंट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सजय सिंह राजावत

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 19.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह एवं श्री अजीत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी:- बबायचा अजमेर, जिला अजमेर (राज०) 305811 को दिनांक 29.09.2016 को रूपये 5.00,000/- (अक्षरे पांच लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम पंचायत बबायचा, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज०) में स्थित पट्टा न० 44, की सम्पत्ति क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, जो श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ :- पूर्व में:-मनोहर सिंह, पश्चिम में:-भवानी सिंह की संपत्ति, उत्तर में:-आम रास्ता, दक्षिण में:-लक्ष्मण सिंह की संपत्ति है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 14.05.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 17.05.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूप 5.00,333/- (अक्षरे पांच लाख तीन सौ तैंतीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जा किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा वक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्मलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा



*Sharma*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्राथीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्राथीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक ग्राम पंचायत बवायचा, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज0) में स्थित पट्टा नं0 44, की सम्पत्ति, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, जो श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ :- पूर्व में:-मनोहर सिंह, पश्चिम में:-भवानी सिंह की संपत्ति, उत्तर में:-आम रास्ता, दक्षिण में:-लक्ष्मण सिंह की संपत्ति है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा विलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को सुनाया गया।



*Delana*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर